

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन।

संख्या-एम0ई0-1 / क / 2015 / 3149

लखनऊ,दिनांक-11 अगस्त,2015

::: निविदा निरस्तीकरण सूचना :::

राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में दवा की दुकाने खोले जाने हेतु निविदा सूचना संख्या-एम0ई0-1/क/1303, दिनांक 18 मई, 2015 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त मात्रा में अर्ह निविदायें प्राप्त न होने को दृष्टिगत रखते हुए उक्त निविदा सूचना दिनांक 18 मई,2015 एतद्वारा निरस्त की जाती है।

( वी0एन0 त्रिपाठी )  
महानिदेशक

**कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।**

संख्या-एम0ई0-1/क/2015/ 3501

लखनऊ,दिनांक- 11 सितम्बर,2015

**:::: निविदा सूचना ::::**

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राजकीय मेडिकल कालेजों एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सा संस्थानों में दवा की दुकानें खोले जाने हेतु निविदा आमंत्रित करते हैं। उक्त दवा की दुकानें मरीजों को केवल राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सकों के वैध पर्चों पर अंकित दवाईयों, शल्य चिकित्सा तथा इम्प्लांट आर्थोटिक एण्ड प्रोस्थेटिक में प्रयोग होने वाले उपकरणों आदि को अनुमोदित दरों पर छूट देते हुए सातों दिन चौबीस घण्टे( 24 X 7 ) दिन-रात अपनी सेवायें प्रदान करेंगी।

निविदा सम्बन्धी समस्त सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 की वेबसाईट [www. updgme.in](http://www.updgme.in) पर उपलब्ध है। निविदा की धनराशि पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट निविदा फार्म के साथ "महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ" के पक्ष में देय होगी। निविदादाता की निम्न अर्हताएं होनी चाहिए : -

- 1- निविदादाता (केमिस्ट) के पास निविदा खुलने की तारीख तक समस्त आवश्यक एलोपैथिक दवाईयों, शल्य चिकित्सा तथा इम्प्लांट आर्थोटिक एण्ड प्रोस्थेटिक में प्रयोग होने वाले उपकरणों आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत औषधि नियंत्रक द्वारा औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम-1940 (Drug & Cosmetics Act-1940) के अन्तर्गत जारी कम से कम पाँच साल पुराना उचित लाईसेन्स निर्धारित प्रारूप पर होना आवश्यक है।
- 2- निविदादाता औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा अन्य नियामक अधिकारी द्वारा न तो दण्डित किया गया हो और न ही औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत कोई वाद लम्बित हो।
- 3- निविदादाता (केमिस्ट) के पास विभिन्न ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों में औषधि के साथ-साथ सर्जरी आदि में उपयोग होने वाली वस्तुओं के 24 घण्टें विक्रय एवं वितरण का दिनांक 31 अगस्त, 2015 को तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
- 4- वैट पंजीकरण प्रमाण पत्र एव टिन नं0 निविदा के साथ उपलब्ध होना चाहिए।
- 5- निविदादाता के पास कम से कम तीन करोड़ का कारोबार (टर्नओवर) पिछले तीन वित्तीय वर्षों का होना अनिवार्य है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
- 6- 500 बेड्डेड हास्पिटल में फार्मसी दुकान का अनुभव प्रमाण पत्र।
- 7- पिछले तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रतियाँ संलग्न करें।

निविदादाता/केमिस्टों से प्राप्त किसी आवेदन पत्र/समस्त आवेदन पत्रों को बिना किसी कारण के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पास निहित होगा।

निविदा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226001 के कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 16 अक्टूबर, 2015 अपराह्न 12.30 बजे है।

( महानिदेशक )

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERALA, MEDICAL EDUCATION & TRAINING,**  
**U.P., 6<sup>TH</sup> FLOOR, JAWAHAR BHAWAN.**

No. ME-1/2014/Tender/2015/ 3501

Lucknow, Dated- 11 september,2015

**TENDER NOTICE**

Director General, Medical Education & Training, U.P.,Lucknow invites Tender for opening and running a “24x7” Pharmacy / Chemist Shop” in the premises of State Medical Colleges/Institute for supply of Medicines / Surgical Consumables / Implants / Orthotic and Prosthetic Devices etc. to patients only against valid prescriptions of State Medical College doctors at approved discounted rates.

The tender notice can be downloaded from the Website of the Govt. [www.updgm.in](http://www.updgm.in). The cost of tender document is to be tendered in the form of pay order / Bank draft in favour of “Director General, Medical Education & Training, U.P., Lucknow” along with bid.

Minimum requirements for eligibility:-

- 01-The chemist must have held valid licenses for past 5 years as on the date of Bid opening in specified forms for various categories of allopathic medicines/Surgical Consumables / Implants / Orthotic and Prosthetic Devices etc. issued by the Drug Control authority of the State under the provisions of Drugs and Cosmetics Act,1940.
- 02-The chemist must not have been penalised by the Drug Licensing authority or any other regulatory body and no case should be pending under the Drugs and Cosmetics Act and Rules.
- 03-Chemist should have at least three years 24 hours sales & Distribution experience as on 31<sup>st</sup> August, 2015 in selling / dispensing the medicines / surgical consumable etc. at reputed premises /Institutions/hospitals.
- 04-VAT Registration certificate and TIN no should be available with the bid.
- 05-Atleast three Crores turnover for last three years is essential (Certificate to be enclosed with the Technical bid).
- 06-Experience of Pharmacy shop in the 500 bedded hospital.
- 07-Last three years Income Tax Returns should be enclosed with the bid.

The Director General, Medical Education, Lucknow reserves the right to reject all / any application received from the Chemists without assigning any reason thereof.

**Last date for submission of tender is 16 oct.,2015 by 12.30 P.M. in the Office of the Director General, Medical Education & Training U.P., Jawahar Bhawan, Lucknow-226001 (U.P)**

Director General